झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्रांक 192(14)/2018-FC A/cs, दिनांक 06.05.2019 के आलोक में DCP एवं Non DCP राज्यों के लिए धान, सी०एम०आर० एवं गेहूँ के परिवहन शुल्क निर्धारण के सिद्धान्तों हेतु राज्य स्तरीय समिति का निम्न प्रकार गठन किया जाता है :–

(क)	सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।	– अध्यक्ष।
(ख)	Excutive Director, Food Corporation of India	– सदस्य।
(ग)	महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, झारखण्ड।	– सदस्य।
(घ)	उपायुक्त, खूँटी	– सदस्य।
(ड़)	उपायुक्त, रामगढ़	– सदस्य।
(च)	उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी परिवहन विभाग, झारखण्ड।	– सदस्य।

2. परिवहन शुल्क के लिए दर का निर्धारण राज्य स्तरीय समिति द्वारा बाजार सर्वे के आधार पर किया जायेगा। निर्धारित दर अधिकतम दो सालों के लिए लागू होगा।

3. परिवहन शुल्क का निर्धारण जिला स्तर पर ई–टेन्डर के माध्यम से किया जायेगा।

4. जिला स्तर पर ई–टेन्डर से प्राप्त दर को राज्य स्तरीय समिति द्वारा जाँच कर अंतिम रूप दिया जायेगा। जिला स्तर पर प्राप्त दर एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर में बहुत अंतर आने की स्थिति में स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने के कारणों का राज्य स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही में लिपिबद्ध किया जायेगा।

5. भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य के प्रतिनिधियों के बीच एक या अधिक जिलों के परिवहन शुल्क के निर्धारण में भिन्न–भिन्न मत होने की स्थिति में मामला को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा जिनके द्वारा उपस्थापित होने की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर निर्णय लेना होगा। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा लिये गये निर्णय ही मान्य होगा।

6. सभी जिलों द्वारा निम्न दूरी स्लैब का अनुपालन किया जायेगा।

From 0 upto 8 Kms.
From 8 upto 20 Kms.
From 20 upto 40 Kms.
From 40 upto 80 Kms.
And above 80 Kms.

7. राज्य स्तरीय समिति द्वारा परिवहन शुल्क के लिएं एक आदर्श निविदा दस्तावेज तैयार किया जायेगा जो सभी जिलों में मान्य होगा।

8. भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तैयार किया गया निविदा दस्तावेज सभी राज्यों में आदर्श है तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम के अंत में राज्यवार परिवहन शुल्क का समीक्षा की जायेगी।

9. उक्त परिवहन शुल्क अधिप्राप्ति केन्द्र से मिल तक धान के परिवहन, राईस मिल से भण्डारण गृह तक चावल का परिवहन तथा अधिप्राप्ति केन्द्र से भण्डारण गृह तक गेहूँ के परिवहन पर मान्य होगा। वितरण के चरण में यह दर सी०एम०आर० के परिवहन तथा भण्डारण गृह से गेहूँ के परिवहन पर भी लागू होगा।

10. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(बद्री नाथ चौबे),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– खा०प्र० 02 अधि० परि० 01/2019 2183 /राँची दिनांक 23/07/19

प्रतिलिपि– सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड/उपायुक्त, खूँटी एवं रामगढ़/ Excutive Director, Food Corporation of India/ महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।